न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 31/2022

प्रकरण दर्ज तिथि :— 02.03.2022

जीसीएमएस नम्बर :— 2022/88

वादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र हरीराम
2. भंवरलाल पुत्र हरीराम
3. रतनाराम पुत्र हरीराम
4. सायरीदेवी पत्नि हरीराम
5. कानाराम पुत्र थानाराम
6. कालूराम पुत्र थानाराम
7. पारसमल पुत्र थानाराम फौत के कायम मुकाम

7/1 राजेन्द्र पुत्र पारसमल

7/2 माणक पुत्र पारसमल

7/3 सन्तोष पुत्री पारसमल

7/4 विद्यादेवी पुत्री पारसमल

7/5 समुडीदेवी पत्नि पारसमल

8. खेताराम पुत्र मोहनलाल
9. माधवराम पुत्र मोहनलाल
10. रूपाराम पुत्र मोहनलाल
11. सन्तोष पुत्री मोहनलाल

बनाम

प्रतिवादीगण

1. इन्द्रादेवी पुत्री शंकरलाल
2. गुटकीदेवी पुत्री शंकरलाल
3. पप्पूराम पुत्र शंकरलाल
4. शिवराम पुत्र शंकरलाल
5. तिजाईदेवी पत्नि शंकरलाल
6. केलीदेवी पुत्री रावतराम
7. दाखु पत्री रावतराम
8. मदनलाल पुत्र रावतराम
9. रमेशचन्द्र पुत्र रावतराम
10. पतासी पत्नि रावतराम
11. पुनाराम पुत्र धन्नाराम
12. भुराराम पुत्र धन्नाराम जातिगण जाट निवासीगण देवलीकलां
13. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 '92ए राज. काश्त. अधिनियम

1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी उपस्थित

2 प्रतिवादीगण अधिवक्ता अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 20.02.2025**

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 12 की सामलाती व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा देवलीकलां पटवार हल्का देवलीकलां भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र देवलीकलां में निम्नानुसार विवरण की कृषि भूमि आई हुई हैं।

क्र. स.	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर मे	किस्म
1	2017	1.2383	चाही दोयम
2	2018	0.0728	गै.मु. बगीची
3	2019	6.4102	चाही दोयम
4	2019/2	0.5099	चाही दोयम
5	2020	5.8275	चाही दोयम
6	2028	1.5135	चाही दोयम
7	561	1.3274	बारानी अव्वल
08	70	1.5945	बारानी अव्वल
कुल खसरा 08 कुल रकबा 18.4941 हैक्टेयर			

उपरोक्त वादपत्र में वर्णित भूमि में वादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का 1/32 वां हिस्सा, इसी प्रकार वादी संख्या 05 से 07 प्रत्येक का 1/24 वां हिस्सा, एवं वादी संख्या 08 से लगायत 10 प्रत्येक का 5/128 वां हक हिस्सा एवं वादी संख्या 11 का 1/128 वां हिस्सा व अधिकार हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 06 से 10 प्रत्येक का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 05 प्रत्येक का 1/30 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 व 12 प्रत्येक का 1/6 वां हिस्सा वादग्रस्त भूमि में आया हुआ हैं। जिसमें माफिक हिस्से अनुसार पक्षकारों का मौके पर कब्जा काश्त व हक अधिकार हैं। इस भूमि का चालू जमाबंदी इस वादपत्र के साथ पेश हैं। वर्णित हिस्से एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का मौके पर संयुक्त व सामलाती कब्जा व काश्त हैं तथा इस विवादित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा भी नहीं हो रखा हैं। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच संयुक्त व सामलाती हैं इसी वजह से खातेदारो के बीच कई बार इस भूमि के नाप–चौप सीमा व माठ को लेकर वादीगण से प्रतिवादीगण के विवाद हो रहे हैं। प्रतिवादी पूनाराम व अन्य मौके पर विशिष्ट भू भाग को जबरदस्ती अपना होना बताकर उस पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं तथा प्रतिवादी पूनाराम व अन्य ने मौके पर नीवे खुदवाकर अकृषि कार्य शुरू करवा दिया है तथा दिनांक 23.02.2022 से लगातार प्रतिवादी पूनाराम व अन्य अवैध कार्य करने में लगे हुए हैं।वादीगण द्वारा मना करने पर उन्हें इस विवादित भूमि से बेकाबिज कर देने की ऐलानिया धमकी भी दे रहे हैं। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अदालत श्रीमान् के समक्ष यह वादपत्र पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 13 भूमिधारी हैं। वैधानिक नोटिस दो माह पूर्व दिया जाना आवश्यक हैं लेकिन वादीगण का यह वादपत्र अत्यंत ही आवश्यक प्रकृति का है, दो माह की अवधि पूर्व होने तक प्रतिवादीगण, वादीगण को इस भूमि से पूर्णतया बेदखल कर देगे।इसीलिए धारा 80 (2)सीपीसी का प्रार्थना पर वादपत्र के साथ पेश किया हैं। मालियत वाद बाबत् बंटवारा के रू 100 व बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा के रू 100 की कायम की जाकर उस पर मुकर्रर सुदा कोर्ट फीस स्टाम्प रू 2 का बतौर रसूम के साथ पेश किया हैं। उक्त वादपत्र अंदर म्याद व अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में हैं।

वादपत्र में वर्णित भूमि में वादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का 1/32 वां हिस्सा, इसी प्रकार वादी संख्या 05 से 07 प्रत्येक का 1/24 वां हिस्सा, एवं वादी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (बायर)

संख्या 08 से लगायत 10 प्रत्येक का 5/128 वां हक हिस्सा एवं वादी संख्या 11 का 1/128 वां हिस्सा की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का बंटवाडा किया जावें एवं साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एवं 11,12 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सैन वगैरह ने एवं प्रतिवादी संख्या 06 से 10 की ओर से श्री रामस्वरूप चौधरी वगैरह ने काउण्टर वादपत्र, जबावदावा तथा वकालतनामा प्रस्तुत किया। जो शा.मि. किया गया हैं।

प्रतिवादी संख्या 06 से 10 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर वादपत्र में घोषणा व बंटवाड़ा की डिक्री व निर्णय बहक प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण/वादीगण तथा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि काउन्टर वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी में से खसरा नं. 2020 में व 561 में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के व 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को पारिवारिक बंटवाड़े के अनुसार प्राप्त हुआ इसलिए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को खसरा नं. 2020 व 561 के 1/2 हिस्से का पारिवारिक बंटवाड़ा दिनांक 16/06/1969 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में उनका 1/2 हिस्से में नाम बतौर खातेदार काश्तकार इन्द्राज किया जावे एवं शेष 1/2 हिस्से में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का नाम रखा जावे इवं इन दोनों खसरों में से अप्रार्थीगण/वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरा नं. 561 व 2020 के अलावा अन्य जो खसरा नम्बरान् है उनमें पारिवारिक बंटवाड़ा अनुसार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर उन खसरों में अप्रार्थीगण/वादीगण का नाम पारिवारिक बंटवाड़ा अनुसार इन्द्राज किया जावे। इस आशय की घोषणा व बंटवाड़ा की डिक्री पारित फरमावे। काउन्टर वादपत्र की रूह से अन्य कोई सहायता जो प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो वह दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 06 से 10 की ओर से प्रस्तुत जबावदावा वादपत्र में वादपत्र के पद संख्या 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2017 रकबा 1.2383 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2018 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2019 रकबा 6.4102 हैक्टेयर, खसरा नं. 2019/2 रकबा 0.5099 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2020 रकबा 1.5135 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2028 रकबा 1.5135 हैक्टेयर, खसरा नंबर 561 रकबा 1.3274 हैक्टेयर, खसरा नं. 70 रकबा 1.5945 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 8 कुल रकबा 18.4941 हैक्टेयर आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी सरहद मौजा देवलीकलां पटवार हल्का देवलीकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलीकलां में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 से 10 का 1/2 हिस्सा चला आ रहा है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने एक आपसी लिखित बंटवाड़ा दिनांक 16/06/1969 को तकमील कर दिया उसी बंटवाड़े के अनुसार आज भी सभी पक्षकारान् मौके पर काबिज हैं। नकल आपसी लिखित बंटवाड़ा जवाब वादपत्र के साथ पेश है। जिसे जवाब वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर 1969 से जो बंटवाड़ा किया उसके अनुसार मौके पर काबिज है, जिसमें जवाब देहन्दा के हक हिस्से में खसरा नम्बर 2020 रकबा 5.8275 हैक्टेयर की 1/2 भूमि हिस्से में आई अर्थात जवाब देहन्दा को सन् 1969 को हुए बंटवाड़े के अनुसार खसरा नंबर 2020 में से 1/2 अर्थात 18 बीघा जमीन हिस्से में आई और इसी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

अनुसार खसरा नंबर 561 में भी जवाब देहन्दा का 1/2 हिस्सा है। जिसका लिखित बंटवाड़ा में पूर्णतया इन्द्राज है एवं नक्शा बनाकर जवाब देहन्दा के हिस्से में आई भूमि के पड़ोस अंकित कर स्पष्ट किया और लिखित बंटवाड़े पर उस समय सभी खातेदारों ने अपने हस्ताक्षर किये और मंजूर कर मौके पर इस लिखित बंटवाड़े के अनुसार कब्जा काश्त शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक लिखित बंटवाड़े के अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं और जो मौके पर बंटवाड़ा सन 1969 में तकमील किया उसमें दोनों पक्षों के आने जाने के लिए रास्ते छोड़े गये तथा सन् 1969 को हुए बंटवाड़े में कई पक्षकारों ने मौके पर भूमि के विकास करने के लिए अपने मकान बना लिये अपने पशुओं के लिए टिनशेड व चारा डालने के लिये बडे बडे गोदाम भी बना लियें। सन् 1969 को हुए आपसी पारिवारिक बंटवाडे के अनुसार सभी पक्षकार उस बंटवाडे के अनुसार काबिज हैं। जहां पर जबाव देहन्दा का हक हिस्सा पारिवारिक बंटवाडा के अनुसार आया हुआ हैं। उस पर ही काबिज है शेष भूमि पर जबाव देहन्दा वादीगण के हक हिस्से में कोई बाधा अडचन पैदा नहीं कर रहे हैं। पारिवारिक बंटवाडा के अनुसार वादीगण के हक हिस्से में आई भूमि पर वादीगण कोई भी काम करे तो जबाव देहन्दा कोई हस्तक्षेप बाधा अडचन आदि नहीं कर रहे हें। जबाव देहन्दा ने सरहद मौजा देवलीकलां में वादग्रस्त सम्पति के अलावा आई हुई कृषि भूमि खसरा नम्बर 1239, 301 302 303 85 969 व 980 में अपना हक त्याग कर रखा हैं। उक्त आराजी में जबाव देहन्दा का नाम रेकर्ड में जरूर इन्द्राज हैं परन्तु पारिवारिक बंटवाडे के अनुसार उक्त खसरे वादीगण के हक हिस्से में आये हुए हैं। जिन पर वादीगण काबिज है और पारिवारिक बंटवाडे के अनुसार जमीन को बराबर करने के लिये जबाव देहन्दा ने इस सम्पति में अपना हक त्याग दिया एवं केवल खसरा नम्बर 561 व 2020 में ही हिस्सा प्राप्त किया तो इस प्रकार जबाव देहन्दा आज भी उनके पूर्वजों द्वारा किये गये पारिवारिक बंटवाडा अनुसार काबिज हैं और किसी प्रकार को कोई वाद विवाद नहीं कर रहे हैं। परन्तु वादीगण की नियत में अब फर्क आ गया हैं और वह 50 वर्ष पूर्व हुए बंटवाडे को छूपाते हुए वादपत्र पेश किया हैं जो काबिज खारिज के हैं। वादग्रस्त भूमि में आज से 50 वर्ष पहलें पारिवारिक बंटवाडे की लिखित के अनुसार बंटवाडा हो रखा हैं और मौके पर भी उसी बंटवाडे के अनुसार काबिज हैं और बंटवाडे में जो नजरी नक्शा है उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने के लिये जबाव देहन्दा तैयार हैं। इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य वादीगण ने गलत व बेबुनियाद अंकित किये है तथा वादीगण ने सही एवं वास्तविक तथ्यों को छुपाया हैं एवं न्यायालय के समक्ष साफ हाथों में नही आया हैं वादीगण ने सन् 1969 में पारिवारिक बंटवाडा तकमील होने के तथ्य को वादपत्र में अंकित नहीं किये हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पोषनीय नहीं होने से खर्चा खारिज फरमावें।

प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 एवं 11, 12 की ओर प्रस्तुत काउण्टर वादपत्र में वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 एवं 11, 12 का 1/2 हिस्सा आता हैं व वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 06 से 10 का 1/2 हिस्सा आता हैं। जिसमें धन्नारामजी व जोरारामजी के पुत्रगण हरीराम, थानाराम, मोहनराम, रावतराम ने सन् 1969 में मौके पर बंटवाडा कर लिया और उसी बंटवाडा अनुसार आज दिन तक मौके पर बंटवाडा कर लिया और उसी बंटवाडा अनुसार आज दिन तक मौके पर काबिज चले आ रहे हें। किन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण कि खातेदार की संयुक्त सामलाती अविभाजित कब्जा काश्त की भूमि हैं दर्ज हैं, जिसका कानूनन आज तक पक्षकार के बीच में राजस्व रेकर्ड में बाई मिट्स एण्उ बाण्उडस बंटवाडा नहीं हो रखा हैं। काण्उटर वादपत्र के साथ नजरी नक्शा एवं फोटुऐ मौके की पेश की हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

खसरा नम्बर 2017 में एक बीघा हॉस्पीटल के लिए व दो बीघा स्कूल के लिए बकाया हमारी भूमि पडी हैं। वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण सख्यां 01 से 05 एवं 11, 12 को 1/2 तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 06 से10 का 1/2 वां हिस्सा आता हैं व मौके पर मय रास्ता बंटवाडा नजरी नवशा अनुसार लिखित व मौखिक बंटवाडा अनुसार वर्ष 1969 से हो रखा हैं। उक्त हिस्सा अनुसार नजरी नक्शा अनुसार लालरंग की प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05,11,12 व हरे रंग की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 06 से 10 बंटवाडा एव पीले रंग की भूमि का बंटवाडा किया जाकर , सम्पूर्ण कृषि भूमि का बंटवाडा रास्ता सहित मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाण्उडस के आधार पर विभाजन कर वादीगण व प्रतिवादीगण के अपने अपने खाते अलग अलग मय नक्शा तरमीम किया जावें एवं साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कि जावें।

प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 एवं 11, 12 की ओर प्रस्तुत जबावादावा में वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 एवं 11, 12 का 1/2 हिस्सा आता हैं व वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 06 से 10 का 1/2 हिस्सा आता हैं। जिसमें धन्नारामजी व जोरारामजी के पुत्रगण हरीराम, थानाराम, मोहनराम, रावतराम ने सन् 1969 में मौके पर बंटवाडा कर लिया। वादग्रस्त भूमियों का प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05, 11 व 12 का मौके पर 50 वर्ष पूर्व बंटवाडा हो रखा हैं ववादग्रस्त भूमियों दो खसरो का छोड कर तमाम भूमिया गांव के बीचो बीच आ चुकी हैं। वादग्रस्त भूमियों के बीच में से रामपुरा रोड जा चुकी हैं तथा उक्त रोड के दोनो ओर नजरी नक्शा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मकान व बाडे व भूमिया आयी हुई हैं। वादग्रस्त भूमियों में सही कुछ हिस्सा स्कूल ग्राउण्ड व हास्पीटल हेतु भूमि दी हुई हैं। बकाया खसरा नम्बर 2017 सामलाती पडा हैं। जिसके बारे में वादीगण ने छुपाया हैं। मौके पर मय रास्ता बंटवाडा नजरी नक्शा अनुसार लिखित व मौखिक बंटवाडा अनुसार वर्ष 1969 से हो रखा हैं। उक्त हिस्सा अनुसार नजरी नक्शा अनुसार लालरंग की प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05,11,12 व हरे रंग की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 06 से 10 बंटवाडा एव पीले रंग की भूमि का बंटवाडा किया जाकर , सम्पूर्ण कृषि भूमि का बंटवाडा रास्ता सहित मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाण्उडस के आधार पर विभाजन कर वादीगण व प्रतिवादीगण के अपने अपने खाते अलग अलग मय नक्शा तरमीम किया जावें एवं साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कि जावें।

वादी अधिवक्ता ने काण्उटर वादपत्र के संबंध में जबावदावा प्रस्तुत किया जो शा.मि. किया गया हैं प्रस्तुत जबावदावा में वादपत्र में वर्णित भूमि में वादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का 1/32 वां हिस्सा, इसी प्रकार वादी संख्या 05 से 07 प्रत्येक का 1/24 वां हिस्सा, एवं वादी संख्या 08 से लगायत 10 प्रत्येक का 5/128 वां हक हिस्सा एवं वादी संख्या 11 का 1/128 वां हिस्सा व अधिकार हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 06 से 10 प्रत्येक का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 05 प्रत्येक का 1/30 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 व 12 प्रत्येक का 1/6 वां हिस्सा वादग्रस्त भूमि में आया हुआ हैं। साथ ही उक्त भूमि सभी खातेदारों के बीच संयुक्त व सामलाती हैं। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाण्उडस के कोई बंटवाडा नहीं हो रखा होने से वादीगण ने अदालत में मूल वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं जिसमें काउण्टर वादकर्तागण ने कपोल कल्पित व मनगढत आधार तैयार करते हुए काउण्टर वाद पेश किया हैं। काउण्टर वादकर्तागण की ओर से वर्णित यह तथ्य कतई गलत हैं कि इस काउण्टर वाद में वर्णित भूमि का उनके खातेदारों के बीच सन् 1969 में मौके पर बंटवाडा कर लिये जाने से संबंधित कथन कतई गलत होने से अस्वीकार हैं। विधिक प्रावधानों के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार के सामलाती

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

हिस्सेदारों के बीच यदि किसी प्रकार का लिखित पारिवारिक बंटवाडा किया जावें तो इस प्रकार का पारिवारिक बंटवाडा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(8) एवं इसी अधिनियम की धारा 49 के तहत पंजीकृत दस्तावेज नहीं होने से दस्तावेज का विधिक प्रावधान अनुसार कोई अस्तित्व नही रह जाता हैं। काउण्टर वादकर्ता की ओर से प्रस्तुत नजरी नक्शे मुें काउण्टर वादकर्तागण ने बहुउपयोग व बहुमूल्य जायदाद का हडपने के लिये झूठा नजरी नक्शा तैयार करते हुए अदालत में श्रीमान के समक्ष पेश किया हैं।जो कतइ गलत होने से अस्वीकार हैं। इस प्रकार से काउण्टर वादकर्तागण ने रास्ता भी गलत बताया हैं साथ ही यह कथन पूर्णतया सही हैं हि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि संयुक्त व सामलाती अविभाजित कब्जे काश्त की भूमि हैं जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा किया जाना हैं। काउण्टर वादकर्तागण की ओर से माफिक नजरी नक्शा व लिखित पारिवारिक बंटवाडा 1969 के माफिक काउण्टर वादकर्तागण ने जो अनुतोष चाह हैं इस प्रकार का अनुतोष उक्त काउण्टर वादकर्तागण प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं होने से काउण्टर वादकर्तागण का काउण्टर वाद काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें।

प्रतिवादी अधिवक्तागण को समय 12 पीएम, 3 पीएम व 5 पीएम पर बार–बार आवाजे दिलाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहस एकपक्षीय समायत की गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने बताया कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आज दिनांक कोई बंटवाडा नहीं हो रखा हैं। प्रतिवादीगण द्वारा पेश सन् 1969 को पारिवारिक बंटवाडा कोई पंजीकृत दस्तावेज नहीं हैं। बहस, राजस्व रेकर्ड एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह पाया कि जमाबंदी संवत् 2076–2079 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बंटवाडा नहीं हो रखा हैं। अतः बहस एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा पेश काउण्टर वादपत्र में सन् 1969 का पारिवारिक बंटवाडा अनुसार बंटवाडा कोई पंजीकृत दस्तावेज नहीं होने काउण्टर वादपत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित खसरान् का बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिक्री जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं।

अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, उपस्थित अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा देवलीकलां पटवार हल्का देवलीकलां भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र देवलीकलां देवलीकलां की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में हिस्सें अनुसार वादपत्र में वर्णित खसरान् का बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये हैं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 01 नियम 10 सीपीसी, प्रार्थी महंत गोविन्दराम पुत्र सुरदास महाराज जाति साधु निवासी देवलीकलां ने जरिये अधिवक्ता श्री भवानी सिंह सोलंकी ने पेश किया हैं जो पत्रावली संलग्न किया गया जिसमें ग्राम देवलीकलां में खसरा नम्बर 2018 किस्म गै.मु. बगीची आई हुई हैं उक्त खसरा नम्बर में भजनराम रामस्नेही साधु के नाम थी। लेकिन वक्त सेटलमेट उक्त खसरा नं. 2018 किसी अन्य खातेदार के नाम दर्ज हो गई। मैं अब उक्त खसरा नम्बर 2018 कि देख रेख करता हु तथा वर्तमान में रामद्वारा देवलीकलां में निवास करता हूं। उक्त खातेदारी में अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज होने से फायदा उठा रहे हैं इसीलिए मुझ प्रार्थी को पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 01 नियम 10 सीपीसी पर जबाव नहीं देना चाहते है एवं बहस करना चाहते हैं। दौराने बहस बताया कि उक्त प्रार्थी महंत गोविन्दराम पुत्र सुरदास महाराज जाति साधु

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

निवासी देवलीकलां का जमाबंदी में खातेदार नही है और ना ही पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ कोई ठोस दस्तावेज पेश किये हैं। इसीलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया हैं। बहस सुनी गई । बहस, पत्रावली के अवलोकन व मनन के पश्चात् प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों द्वारा तथा कोई ठोस दस्तावेज नहीं होने से एवं प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं पाये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 01 नियम 10 सीपीसी खारिज किया जाता हैं।

प्रतिवादी संख्या 06 से 10 की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी पेश किया हैं जो पत्रावली संलग्न किया गया जिसमें दिनांक 02.11.2022 को गई एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री को मनसुख किया जावें एवं प्रतिवादी संख्या 06 से 10 को इस वादपत्र पर अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जावें। काउण्टर क्लेम को रेकर्ड पर लिया जाकर उसके संबंध में विवाधक तय कर प्रकरण को दोनो पक्षों की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात मेरीट पर निस्तारण किया जावें जिससे प्रतिवादीगण के हक अधिकार प्रभावित नहीं हों तथा दिनांक 02.11.2022 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध की एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री को मनसुख किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी पर जबाव नहीं देना चाहते है एवं बहस करना चाहते हैं। दौराने बहस बताया कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त मूल पत्रावली की अपील श्रीमान् राजस्व प्राधिकारी पाली के न्यायालय में कर देने से इस न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को खारिज किया जा चुका हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय में यह भी कथन किया कि एकपक्षीय की गई प्राथमिक डिक्री विधिनुरूप होने से अपील खारिज की जाती हैं। इसीलिए प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी, भारी कोष्ट के साथ खारिज किया जावें। बहस सुनी गई । बहस, पत्रावली के अवलोकन व मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी, माननीय न्यायालय में अपील होने से प्रतिवादीगण को सुना जा चुका है। इसीलिए अब उक्त प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे सुनने योग्य नहीं हैं, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं पाये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता हैं।

इस न्यायालय जारी प्राथमिक डिक्री आदेश के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा उक्त पत्रावली की अपील करने से श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा उक्त मूल पत्रावली तलब कर दी गई हैं जो वापस न्यायालय दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त हुई हैं। श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा भी अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने से व सारहीन होने से अस्वीकार की गई। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर के राजस्व वाद संख्या 31/2022 निर्णय दिनांक 02.11.2022 बअनवान ओमप्रकाश बनाम इन्द्रादेवी की पुष्टि की गई। इससे इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री को यथावत रखा गया हैं।

प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2024/2023/26 दिनांक 20.01.2023 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं।

वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में जाकर सरहद मौजा देवलीकलां पटवार हल्का देवलीकलां भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र देवलीकलां, के खसरा सं. 2017, 2018, 2019, 2019/2, 2020, 2028, 561, 70 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री बमुकदमें इबतदाई

ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,बमुकाम – रायपुर (ब्यावर)

बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 31/2022

वादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र हरीराम
2. भंवरलाल पुत्र हरीराम
3. रतनाराम पुत्र हरीराम
4. सायरीदेवी पत्नि हरीराम
5. कानाराम पुत्र थानाराम
6. कालूराम पुत्र थानाराम
7. पारसमल पुत्र थानाराम फौत के कायम मुकाम

7/1 राजेन्द्र पुत्र पारसमल
7/2 माणक पुत्र पारसमल
7/3 सन्तोष पुत्री पारसमल
7/4 विद्यादेवी पुत्री पारसमल
7/5 समुडीदेवी पत्नि पारसमल

8. खेताराम पुत्र मोहनलाल
9. माधवराम पुत्र मोहनलाल
10. रूपाराम पुत्र मोहनलाल
11. सन्तोष पुत्री मोहनलाल

बनाम

प्रतिवादीगण

1. इन्द्रादेवी पुत्री शंकरलाल
2. गुटकीदेवी पुत्री शंकरलाल
3. पप्पूराम पुत्र शंकरलाल
4. शिवराम पुत्र शंकरलाल
5. तिजाईदेवी पत्नि शंकरलाल
6. केलीदेवी पुत्री रावतराम
7. दाखु पत्री रावतराम
8. मदनलाल पुत्र रावतराम
9. रमेशचन्द्र पुत्र रावतराम
10. पतासी पत्नि रावतराम
11. पुनाराम पुत्र धन्नाराम
12. भुराराम पुत्र धन्नाराम जातिगण जाट निवासीगण देवलीकलां
13. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राज. काश्त. अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवन्तसिंह सांखला अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में जाकर सरहद मौजा देवलीकलां पटवार हल्का देवलीकलां भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र देवलीकलां, के खसरा सं. 2017, 2018 ,2019, 2019/2, 2020, 2028, 561, 70 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

नीज_____×_____मुबलिक_____×_____बाबत_____×_____ खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर __ _____×_____फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल यावी तक _____×_____को अदा करे।

बसिबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.02.2025 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (बगावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	53	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	01	00
मुतफरिक	–	10	00	मीजान			
मीजान		16	00			54	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।